

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 43ए/16

संस्थापन दिनांक:-03/12/15

फाईलिंग नं. 233504000332015

सुखवंतीबाई पति सुखदेव रावत
 उम्र 45 वर्ष, निवासी तोरनवाड़ा,
 तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादी

वि रू द्ध

1. गुटानी पिता बलराम कापसे, उम्र 45 वर्ष
2. उत्तम पिता बलराम कापसे, उम्र 32 वर्ष
3. सुखियाबाई पति स्व. बलराम कापसे, उम्र 56 वर्ष
 सभी निवासी तोरनवाड़ा,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
 कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

—: (आदेश) :—

(आज दिनांक 30.11.2016 को पारित)

1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक-1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक 16 जनवरी 2006 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण से ख.नं. 376/2 रकबा 1.415 हे. में से 0.071 हे. भूमि क्रय की थी और आधिपत्य प्राप्त किया था। वादी द्वारा दिनांक 13.07.2015 को क्रय की गयी विवादित भूमि पर नामांतरण हेतु तहसीलदार आमला के यहां एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो कि विक्रय पत्र एवं आवेदन में खसरा नंबरों में भिन्नता के आधार पर खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात वादी को यह ज्ञात हुआ कि विक्रय पत्र में टंकण त्रुटिवश ख.नं. 376/2 के स्थान पर 676/2 लिखा गया था। विक्रय पत्र के समर्थन में प्रतिवादी के द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें भी ख. नं. 376/2 ही लेख है तथा प्रतिवादीगण के नाम पर ख.नं. 676/2 की कोई भूमि नहीं है। प्रतिवादीगण उक्त टंकण त्रुटि का लाभ लेकर दुरुस्तीनामा

वादीगण के नाम पर निष्पादित नहीं कर रहे हैं और इसी टंकण त्रुटि का लाभ लेकर विवादित भूमि अन्य को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति वादी के पक्ष में है इसलिए प्रतिवादीगण को विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने एवं अन्यथा विक्रय करने से निषेधित किया जावे।

3 प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त आवेदन का लिखित में आवेदन पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को ख.नं. 376/2 रकबा 1.415 हे. में से 0.071 हे. भूमि विक्रय न की जाकर मात्र 0.028 हे. भूमि विक्रय की गयी थी। उपर्युक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है। वादी के द्वारा उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर विक्रय की गयी भूमि से अधिक भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिफल की राशि भी प्राप्त नहीं की गयी है जिससे विक्रय पूर्ण नहीं माना जा सकता और न ही प्रतिवादीगण के द्वारा वादी को कब्जा दिया गया है। प्रतिवादीगण के नाम पर ख.नं. 676/2 की भूमि नहीं है तथा विवादित भूमि सहखातेदारों के नाम पर है इसलिए संपूर्ण विवादित भूमि को विक्रय से निषेधित किये जाने की वादी के पक्ष में सहायता दी जाना प्रतिवादीगण के लिए असुविधापूर्ण होगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में न होने से उनका आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या वादी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में किया ?
3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 का निराकरण

5 वादी द्वारा अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि उसके द्वारा प्रतिवादीगण से ख.नं. 376/2 रकबा 1.415 हे. में से रकबा 0.071 हे. विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2006 द्वारा क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया गया। वादी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र, विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2006, तहसीलदार आमला का आदेश दिनांक 12.08.2015 एवं विवादित भूमि 376/2 का किश्तबंदी एवं खसरा वर्ष 2015-16 प्रस्तुत किया गया है।

6 प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध में विक्रय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित किया जाना स्वीकार किया गया है परंतु साथ ही प्रतिवादीगण ने अपने आवेदन में लेख किया है कि ख.नं. 376/2 रकबा 1.415 हे. में से रकबा 0.071 हे. का विक्रय न किया जाकर मात्र उनके द्वारा मात्र 0.028 हे. भूमि का विक्रय किया गया था। प्रतिवादीगण ने यह भी आवेदन में लेखा किया है कि संपूर्ण विवादित भूमि पर उनका आधिपत्य है एवं आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र भी दिया गया है।

7 वादी क्रय की गयी विवादित भूमि पर अपना आधिपत्य होना बता रहा है। वहीं प्रतिवादीगण का यह कहना है कि उनके द्वारा वादीगण को कभी आधिपत्य ही प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार उभयपक्ष विवादित भूमि पर अपना-अपना आधिपत्य बता रहे हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2006 को निष्पादित हुआ तथा नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन वादी द्वारा वर्ष 2015 में दिनांक 12.08.2015 को दिया गया। अतः यदि क्रय की गयी विवादित भूमि पर वादी को विक्रय उपरांत ही आधिपत्य प्राप्त हो गया था तो उसके द्वारा इतने अधिक वर्षों तक नामांतरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। वादी द्वारा विवादित भूमि के वर्ष 2015 के खसरा एवं किश्तबंदी खतौनी प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें संपूर्ण विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का अन्य सहखातेदारों के साथ नाम दर्ज है जिससे उपर्युक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य प्रकट हो रहा है। विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2006 की वैधता का निर्धारण विधिवत साक्ष्य उपरांत ही किया जा सकता है, इस स्तर पर नहीं। अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादी का ख.नं. 376/2 के रकबा 0.071 हे. पर क्रय दिनांक से आधिपत्य है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

8 विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित नहीं पाया गया है। चूंकि विवादित भूमि ख.नं. 376/2 रकबा 1.415 हे. प्रतिवादीगण के साथ-साथ अन्य सहखातेदारों के नाम पर दर्ज है। स्पष्टतः विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के साथ-साथ अन्य सहखातेदारों का भी स्वत्व व आधिपत्य है। प्रकरण के लंबित रहते यदि विवादित भूमि के किसी भाग का विक्रय किया जाता है तो वह न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा तथा उस पर विचाराधीन वाद सिद्धांत का लागू होता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय किया जाता है तो वह जहां तक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध होगा, निष्प्रभावी होगा। तब ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के विक्रय पर रोक लगाने की सहायता वादी की तुलना में प्रतिवादीगण के लिए असुविधापूर्ण

होगी।

9 प्रकरण के लंबित रहने के दौरान यदि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि या उसके किसी भी भाग का विक्रय कर दिया जाता है तो विक्रय न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध होकर निष्प्रभावी होगा और वादी को जो भी क्षति उस विक्रय से होगी उसकी प्रतिपूर्ति धन के रूप में करायी जा सकती है। अतः प्रकरण में वादी को अपूर्तनीय क्षति होने की भी कोई संभावना नहीं है।

10 प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए. नं. 1 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

11 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल